हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
सचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
डॉ. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 47372 दिनांक : 20.03.2020

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय– श्री जय सिंह, उप शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167, एवं 120बी के अधीन फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की अनुमति बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त श्री जय सिंह द्वारा अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुये कुछ कार्मिकों/अधिकारियों की मिलीभगत से उच्चाधिकारियों को गुमराह करके कानून के निर्देशों की अवहेलना करके राज्य के कर्मठ लोकसेवकों को नुकसान पहुंचाने के दुराशय से अविधिक गतिविधियॉ की जा रही है। और अविधिक आदेश जारी किये जा रहे है। इस प्रकार से श्री जय सिंह द्वारा जारी किये गये एक पत्र कमांक प. 1(2)कार्मिक/क–2/17 पार्ट दिनांक 12.09.2019 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। ऐसे अनेक पत्र श्री जय सिंह द्वारा अलग–अलग विभागों में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूति करवा कर जारी किये जाने की जानकारी मिली है। श्री जय सिंह का यह कृत्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न विधिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना के साथ–साथ राजस्थान सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों का भी उल्लंघन है। कृपया निम्न तथ्यों का अवलोकन करेः–

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आर के सभरवाल के प्रकरण में दिये गये निर्णय एवं इसकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा रोस्टर रजिस्टर संधारण के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एक बार रोस्टर में अजा/अजजा के लिए आरक्षित रोस्टर पॉइन्ट आरक्षित वर्ग के लिए व्यक्तियों से भर जाने के बाद रिपलेसमेंन्ट सिद्धान्त को लागू किया जाना अनिवार्य है। अतः अजा/अजजा के रोस्टर पाइंट भर जाने के बाद आरक्षण का लाभ लेकर सेवा में आये अजा/अजजा के किसी भी लोकसेवक को सामान्य/ओबीसी वर्ग के रोस्टर पाइंटस पर किसी भी सूरत में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। कृपया उपरोक्त संविधान पीठ के निर्णय का पैरा–6 का अवलोकन करे जिसके संबंधित अंश आपकी ताजा संदर्भ के लिए यहॉ दिये जा रहे हैः–

"6. We see considered force in the second contention raised by the learned counsel for the petitioners. The reservations provided under the impugned Government instructions are to be operated in accordance with the roster to be maintained in each Department. The roster is implemented in the form of running account from year to year. The purpose of "running account" is to make sure that the Scheduled Castes/Schedule Tribes and Backward Classes get their percentage of reserved posts. The concept of "running account" in the impugned instructions has to be so interpreted that it does not result in excessive reservation..... Therefore, the only way to assure equality of opportunity to the Backward Classes and the general category is to permit the roster to operate till the time the respective appointees/ promotees occupy the posts meant for them in the roster. The operation of the roster and the running

(लगातार ---- 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
सचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
ई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

account" must come to an end thereafter. The vacancies arising in the cadre, after the initial posts arc filled, will pose no difficulty. As and when there is a vacancy whether permanent or temporary in a particular post the same has to be filled from amongst the category to which the post belonged in the roster. For example the Scheduled Caste persons holding the posts at Roster - points 1, 7, 15 retire then these slots are to be filled from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes. Similarly, if the persons holding the post at points 8 to 14 or 23 to 29 retire then these slots are to be filled from among the general category By following this procedure there shall neither be short-fall nor excess in the percentage of reservation." श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिये गये इन बाध्यकारी विधिक निर्देशों की उपरोक्तानुसार लुका–छिपी तरीके से अलग–अलग विभागों में अविधिक पत्र जारी करके अवहेलना की जा रही है।

(2) राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय की पालना के लिए अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 को जारी करके सभी विभागीय प्रमुखों को "पोस्ट बेस्ड रोस्टर सिस्टम विथ इनबिल्ट रिपलेशमेंट सिद्धान्त" के अनुसरण बाबत पाबन्द कर दिया था। श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार लुका–छिपी तरीके से अलग–अलग विभागों में अविधिक पत्र जारी करके इस अधिसूचना/परिपत्र की अवहेलना की जा रही है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.09.2011 जारी करके सभी विभागीय प्रमुखों को बाध्यकारी निर्देश दिये गये थे कि यह सुनिश्चित किया जावें कि कहीं भी किसी भी सूरत में अजा/अजजा के लोकसेवकों की संख्या उनके रोस्टर पाइंट से अधिक नहीं हो। यदि दिनांक 11.09.2011 से पहले किसी कारणवश यह अधिक हो गये है तो इन्हें तत्काल एडहोक कर दिया जावें। स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों की संख्या किसी भी सूरत में रोस्टर पाइंट से अधिक नहीं होने की पाबंदी लगा दी गई थी। श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार लुका–छिपी तरीके से अलग–अलग विभागों में अविधिक पत्र जारी करके इस अधिसूचना/परिपत्र की अवहेलना की जा रही है।

(4) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2017 के अनुसार आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी यदि फीस के अलावा किसी भी स्तर पर कोई भी आरक्षण का लाभ या छूट प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी सूरत में कभी भी सामान्य पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है। श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार लुका–छिपी तरीके से अलग–अलग विभागों में पत्र जारी करके इस अधिसूचना/परिपत्र की अवहेलना की जा रही है।

(5) नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नही है। इसके विपरीत अनुच्छेद 16(4)A में आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को कुछ शर्तो के अधीन परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का प्रावधान अनुच्छेद 16(4)A में किया गया है। अतः

(लगातार —— 3)

हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
डॉ. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ देने की कोई मंशा नही है। श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार लुका-छिपी तरीके से अलग-अलग विभागों में अविधिक पत्र जारी करके संविधान के स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि श्री जय सिंह द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु दुराशय पूर्वक अपने पद का दुरूपयोग करते हुये ऐसी कार्यवाहियॉ की जा रही है और ऐसे दस्तावेजों की रचना की जा रही है जिनसे प्रदेश के निष्ठावान लोकसेवकों को अकारण ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार की छवि को जातिवादी/पक्षपाती/अत्याचारी प्रदर्शित किया जा रहा है, राज्य सरकार के विरूद्ध अनावश्यक विधिक विवदों को बढाया जा रहा है और राज्य सरकार के सकल लोक प्रशासन की दक्षता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। इनके इन कृत्यों में कुछ कार्मिकों/अधिकारियों की मिलीभगत है तथा कुछ उच्चाधिकारियों को दुराशयपूर्वक गुमराह किया गया है।

श्री जय सिंह एवं उनके सहयोगियों का उपरोक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167 एवं 120बी के अधीन दण्डनीय अपराध है। एक लोक कल्याणकारी, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण एवं संविधानिक सरकार का यह पूनीत कर्तव्य है कि ऐसे आपराधिक प्रवृति के अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये कठोरता से दण्डित करवाया जावे। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार हिचकिचाहट महसूस करे तो श्री जयसिंह एवं उनके साथियों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में समुचित कार्यवाही करने के लिए हमें अनुमति दी जावे।

हमारे इस ज्ञापन पर की गयी न्यायपूर्ण कार्यवाही की सूचना हमे सात दिवस में देने की कृपा करें।

सकारात्मक त्वरित कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय

(पाराशर नारायण)

प्रतिलिपि :- प्रदेश के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थाना प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पाराशर नारायण)